फ़सल बीमा

प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाय) क्या है

प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाय) की शुरूआत 2016 में की गई है। इससे पहले जो भी फ़सल बीमा योजनाएँ लागू थीं इनके स्थान पर यह नई पीएमएफबीवाय लागू की गई है। फ़सल क्षेत्र पर बल देने के लिये ही इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत स्थानीय जोखिम, फ़सल के बाद होने वाला नुकसान इत्यादि को भी, बीमा सुरक्षा हेतु साथ में ही जोड़ लिया गया है। किसानों तक इस योजना की जानकारी ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना तथा किसानों के लिये प्रीमियम की दर कम रखना- इन दो बातों को ले कर चलने वाली इस योजना का उद्देश्य है कि भारत में जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा, फसल को बीमा से सुरक्षित किया जाए तथा पैदावार का अनुमान लगाने के लिये तकनीकी का प्रयोग किया जाए।

उद्देश्यः

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाय) का उद्देश्य, निम्न लिखित बातों द्वारा कृषि क्षेत्र की उपज को लगातार बनाए रखना है-

अ) जिन किसानों को आकस्मिक घटनाओं के कारण फसल में हानि/नुकसान उठाना पड़े उन्हें आर्थिक सहायता यानी पैसों की मदद पहुंचाना

ब) सुनिश्चित करना कि किसानों को लगातार आय मिलती रहे ताकि किसानी के काम के साथ उनका जुड़ाव बना रहे

क) किसानों को आधुनिक एवं नवीनताभरी प्रक्रियाएं अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना

ड) कृषि क्षेत्र में क्रेडिट लगातार जारी रखना सुनिश्चित करना, इस कारण खाद्यान्न सुरक्षा बनी रहेगी, फसलों में विविधता मिलेगी, किसानों को उत्पादन जोखिमों से सुरक्षित रखने के उपरांत, कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा एवं वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

योग्यता कैसे तय की जाएगी

- अनिवार्य बातें

नोटिफाइड क्रोप - यानी कि सूचीत फसल (फसलों) के लिये, ऋण पर पैसे देने वाले संस्थानों से सीज़नल एग्रिकल्चरल आपरेशन्स (एसएओ) लेने वाले सभी किसानों को अनिवार्य रूप से इसके तहत शामिल किया जाएगा।

- अपनी इच्छा से जुड़ना

जिन किसानों ने ऋण न लिया हो उनके लिये यह योजना वैकल्पिक रहेगी, वे चाहें तो (अपनी फसल का) बीमा करवा सकते हैं, न चाहे तो नहीं।

जोखिमों - किन्हें साथ जोड़ा गया, किन्हें नहीं,

यहां नीचे दर्शाया गया है कि इस योजना में कितनी बड़ी फसल और कौन से जोखिम हैं, जिनके कारण पैदावार में नुकसान उठाना पड़ता हो-को शामिल किया गया है।

- **बुवाई रोकना रोपाई से जुड़े जोखिमः**

- कम बारिश के चलते या ऋतुओं की प्रतिकूलता को ध्यान में लेते हुए बीमा वाले विस्तार में बुवाई रोपाई रोक देना

- **खड़ी फसल (बुवाई से ले कर कटाई तक)**

दुष्काल, सूखा, बाढ़, जलजमाव, कीटाणुओं एवं रोगों का आक्रमण, जमीन खिसकना, कुदरती आग लगना, बिजली गिरना, तूफान, आंधीभरी बरसात, चक्रवात, अंधड़ चलना, तूफान, बवंडर जैसे कारण जिनकी रोकथाम कर पाना अपने बस में नहीं है।

- कटाई के बाद होने वाला नुकसानः

ये बीमा सुरक्षा केवल उन्हीं फसलों के लिये है जिनकी नमी दूर करने के लिये काटना पड़ता है और खेत में खुले में छोड़ना ज़रूरी है, उन फसलों को, कटाई के बाद ज्यादा से ज्यादा केवल दो हफ्तों के लिये बीमा सुरक्षा मिलती है और वो भी खास तौर पर चक्रवात, बिनमौसम बरसात या तूफानभरी बारिश से बचाने के लिये

- स्थानीय आपदाः

सूचीत विस्तारों में कुछ स्थानीय जोखिम जिनकी पहचान की जा सके, जैसे कि भारी बारिश, ज़मीन खिसकना, और अंधड़ चलने जैसे कारणों से फसल को हानि पहुंचना या नुकसान होना।

सामान्य रूप से किन बातों को शामिल नहीं किया गयाः

युद्ध, परमाणु जोखिम, बदइरादे से नुकसान पहुंचाना तथा अन्य जोखिम जिन्हें रोका जा सकता था- इन्हें बीमा सुरक्षा से बाहर रखा गया है।

<u>पीएमएफबीवाय की विशेषताएं -</u>

किसानों द्वारा प्रीमियम की कितनी दरें चुकानी होंगी, यह नीचे टेबल में दर्शाया गया हैः

क्रम	ऋतु	फसल	किसान को बीमा दर कितनी चुकानी होगी (कुल बीमा राशि के %
1.	खरीफ	सभी खाद्यान्न और तिलहन (सभी दालें, बाजरा, दालें एवं तिलहन की फसलें)	बीमा राशि (एसआय) का 2.0% या वास्तविक दर, दोनों में से जो भी कम हो
2.	रवि	सभी खाद्यान्न और तिलहन (सभी दालें, बाजरा, दालें एवं तिलहन की फसलें)	बीमा राशि (एसआय) का 1.5% या वास्तविक दर, दोनों में से जो भी कम हो
3	खरीफ और रवि	सालाना वाणिज्यिक सालाना होर्टिकल्चर (बागबानी) फसलें	बीमा राशि (एसआय) का 5% या वास्तविक दर, दोनों में से जो भी कम हो

तकनीकी का इस्तेमालः

नई योजना में कई नई बातों को ध्यान में लिया गया है जैसे कि उपग्रह (सैटेलाइट) से ली गई तसवीरों को ध्यान में रखना, वेजीटेशन इन्डाइसिस वगैरह। स्मार्ट फोन का इस्तेमाल करना, हाथ में पकड़े जा सकने वाले उपकरणो का ज्यादा उपयोग करना ताकि फसल का अनुमान लगाते समय गति और बढ़ाई जा सके तथा सटीक

अनुमान लगाया जा सके। बीमा सुरक्षा के तहत विस्तारों को सामेल करने में किसी प्रकार का भेदभाव न बर्ता जा सके इसलिये ज़मीन के रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण करने को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

किसानों में जागरूकता बढ़ाना

अधिक से अधिक किसानों तक पीएमएफबीवाय योजना की जानकारी पहुंचाई जाने पर बल दिया जा रहा है, ताकि इश योजना के तहत और भी ज्यादा किसान अपना नाम पंजीकरण करवा सकें और योजना के फायदे पा सकें।

बेहतर सुरक्षा

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाय) का लक्ष्य है कि किसानों को पैदावार में हुई नुकसानी का योग्य स्थानीय सरकारी प्राधिकरणों द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार, मुआवजा, हरजाना दिया जा सके।

इस योजना में फसल की बुवाई से पहले का नुकसान, चक्रवाती बारिश के कारण कटाई के बाद होने वाला नुकसान, औऱ भारत में बिनमौसम बारिश के कारण होने वाले नुकसान को भी साथ में ही जोड़ लिया गया है। जमीन खिसकने और बाढ़ आ जाने जैसे स्थानीय जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान, हानि को भी बीमा सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है।

पीएमएफबीवाय नीति में क्या कहा गया है, यह पढ़ने के लिये यहां क्लिक करें
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की भारत सरकार की वेबसाइट पढ़ने के लिये यहां क्लिक करें

बीमा से संबंधित हमारी योजना की जानकारी पाने तथा पूछताछ के लिए, तथा 3 स्तर में हम किस प्रकार ग्राहकों की मदद करते हैं, जानने के लिये यहां क्लिक करें

कृपया हमारे मुफ्त (टाल फ्री) नंबर 1800 266 9725 पर हमसे संपर्क करें